भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल, राजस्थान

प्रारूप– पांच (नियम 44 (2) देखिये)

(हिताधिकारी के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन सह स्वीकृति पत्र)

एक पासपोर्ट साइज फोटो यहां चिपकाएं व दो फोटो संलग्न करें।

1. आवेदक का नाम :– ....
2. पिता / पति का नाम :– ....
3. वर्तमान पता :– ....

.... मोबाईल नं :– ....

स्थाई पता :– ....

4. जाति :– अ.जा. / अ.ज.जा. / अन्य पिछड़ा वर्ग / सामान्य .... (जो लागू न हो उसे काट दें)
5. आयु(वर्षों में) :– .... 6. जन्म तिथि :– .... 7 शैक्षणिक योग्यता :– ....

8A . बैंक खाता विवरण :– .... बैंक नाम व शाखा :– .... आईएफएससी कोड :– ....

8B . आधार संख्या :– .... 8C . जनआधार / भामाशाह संख्या :– ....

9. वैवाहिक स्थिति :– विवाहित / अविवाहित / विधुर / विधवा .... (जो लागू न हो उसे काट दें)
10. उन नियोजकों के नाम तथा पते जिनके लिए पिछले 12 माह में कार्य किया (वर्तमान नियोजक सहित)

क्र.सं.	कार्य के स्थल का विवरण	क्या कार्य किया	कितने दिन काम किया (कार्य अवधि)	नियोजक का नाम व पता	वर्तमान नियोजक के हस्ताक्षर तथा मोबाईल नं.
1					
2					
3					
4					
5					

11. परिवार का विवरण :–

क्र.सं.	परिवार के सदस्य का नाम	आवेदक से सम्बन्ध	आयु	शिक्षा का स्तर	यदि पढ़ रहा है तो कक्षा व स्कूल का नाम व पता
1					
2					
3					
4					
5					

12. आवेदक का ईएसआई / ईपीएफ क्रमांक (यदि कोई हो) :– ....

12A. क्या बीपीएल / स्टेट बीपीएल श्रेणी में शामिल है (यदि हां तो) बीपीएल क्रमांक :– ....

13.

घोषणा

मैं सत्यनिष्ठा / ईश्वर की शपथ लेकर कथन करता हूं कि मेरे द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान व जानकारी के अनुसार सही हैं। सही न पाये जाने की स्थिति में मुझे दी गई सहायता राशि मण्डल को वापिस देने का वचन देता हूं।

स्थान :– ....

दिनांक :– .... आवेदक के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान

भवन व अन्य संनिर्माण कर्मकार होने का प्रमाण पत्र

14. प्रमाणित किया जाता है कि .... पुत्र / पुत्री / पत्नी .... निवासी .... निर्माण कामगार के रूप में नियोजक.............................. (नाम व पता) के निर्माण कार्य पर पिछले एक वर्ष की अवधि में .... दिनों तक कार्य करता रहा है / रही है तथा वह निर्माण कर्मकार है।

नियोजक / ठेकेदार के हस्ताक्षर पता व मो.न.

निर्माण श्रमिकोंकी यूनियन के अध्यक्ष / महामंत्री के हस्ताक्षर व यूनियन का नाम पता व पंजीयन सं.

पंचायत के कार्यकारी अधिकारी / तथा नाम क्षेत्र के श्रमनिरिक्षक के हस्ताक्षर नाम व पता

पंजीयन आदेश

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा आवेदन पत्र में वर्णित जानकारी की जांच उपरान्त सन्तुष्ट होने पर पंजीयन की स्वीकृति दी जाती हैं।

स्थान :– हस्ताक्षर श्रम निरिक्षक एवं प्राधिकृत अधिकारी

दिनांक :– नाम निरीक्षक / प्राधिकृत अधिकारी

(नियम 44 (4) के अन्तर्गत नाम निर्देशन) (प्रारूप – छः)

मैं अपनी मृत्यु की दशा में मण्डल की ओर से मुझे देय समस्त बकाया प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित व्यक्ति/व्यक्तियों को मेरे अधिकारवान वारिस के रूप में नाम निर्देशित करता/करती हूं।

क्र.सं.	नामिति / नामितियों का नाम व पता	हिताधिकारी से संबंध	आयु	नामिति को दी जाने वाली राशि का प्रतिशत

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

आवेदन पत्र भरने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा–निर्देश :–

1. आवेदक के कॉलम एक व दो में क्रमशः आवेदक तथा उसके पिता या पति का पूरा नाम अंकित किया जाना हैं।
2. कॉलम तीन में आवेदक का वह पता अंकित किया जाना हैं जिस पर वह वर्तमान में निवास कर रहा हैं। पता पूर्ण लिखा जावे। इसी प्रकार कॉलम तीन में आवेदक के स्थायी निवास का पूर्ण पता व मोबाईल नं.अंकित किया जाना हैं।
3. कॉलम चार में आवेदक अजा/अजजा आदि जिस श्रेणी में हो, उसके अतिरिक्त अन्य वर्गों को काट दिया जाना हैं, जिससे आवेदक की श्रेणी स्पष्ट हो सके।
4. कॉलम पांच में आवेदन की तिथि पर आवेदक द्वारा पूर्ण कर ली गयी आयु के वर्ष तथा कॉलम छः में उसकी जन्मतिथि, दिन,माह, वर्ष में अंकित की जानी हैं। आवेदक की आयु के प्रमाण के लिए स्कूल का प्रमाण पत्र अथवा जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार का प्रमाण पत्र अथवा सक्षम चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र अथवा ड्राईविंग लाइसेन्स अथवा मतदाता पहचान पत्र अथवा आधार कार्ड संलग्न किया जाना आवश्यक हैं।
5. कॉलम सात में आवेदक की शैक्षणिक योग्यता (जो कक्षा उत्तीर्ण की हो) अंकित की जानी हैं।
6. कॉलम संख्या आठ में यदि आवेदक का बैंक खाता संख्या एवं बैंक शाखा का नाम अथवा आधार नं., जनआधार/भामाशाह कार्ड संख्या का विवरण अंकित किया जाना हैं।
7. कॉलम संख्या नौ में आवेदक की वैवाहिक स्थिति में जो लागू नहीं हो उसे काट दिया जाना हैं।
8. कॉलम संख्या दस में आवेदक वर्तमान में जिस नियोजक के पास निर्माण कार्य कर रहा हैं, उसके सहित पिछले 12 माह में किए गये निर्माण कार्यों के नियोजकों का विवरण अंकित किया जाना हैं। वर्तमान नियोजक का नाम,पता तथा मोबाईल नं. आवश्यक रूप से अंकित की जावे, ताकि आवश्यक होने पर पुष्टि की जा सके।
9. कॉलम संख्या ग्यारह में आवेदक के परिवार का विवरण अंकित किया जाना हैं। यदि आवेदक के परिवार के सदस्य स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनके कक्षा व स्कूल का नाम स्पष्ट रूप से अंकित करें।
10. कॉलम संख्या बारह में यदि आवेदक ईएसआई/ईपीएफ से जुड़ा हुआ हैं तो इसकी जानकारी देवें तथा बीपीएल/स्टेटबीपीएल की श्रेणी में शामिल हो तो इसकी भी सूचना आवश्यक रूप से भरें।
11. कॉलम संख्या तेरह आवेदक द्वारा दिये गये विवरण की सत्यता की घोषणा की जानी है, जिस पर उसके हस्ताक्षर/अगूंठे के निशान अंकित हो।
12. कॉलम चौदह में आवेदक के निर्माण श्रमिक होने का प्रमाण पत्र हैं। जिसे विवरण अंकित कर श्रमिक के नियोजक या ठेकेदार द्वारा अथवा निर्माण श्रमिकों की पंजीकृत यूनियन के अध्यक्ष/महामंत्री द्वारा अथवा संबंधित पंचायत के कार्यकारी अधिकारी (ग्राम विकास अधिकारी) द्वारा अथवा क्षेत्र के श्रम निरीक्षक द्वारा (उपरोक्त चारों में से कोई एक) हस्ताक्षर से जारी किया जायेगा। यह प्रमाण पत्र पंजीयन हेतू आवश्यक हैं।
13. उपरोक्त वर्णित प्रारूप– छः में आवेदक द्वारा नामित/नामितियों का विवरण अंकित कर पुनः हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान अंकित किया जाना हैं।

विशेष :– पूर्ण रूप से आवेदन के साथ आयु का प्रमाण पत्र तथा निर्माण कर्मकार होने के प्रमाण पत्र के अतिरिक्त तीन पासपोर्ट साईज की रंगीन फोटो (एक आवेदन पत्र पर निर्धारित स्थान पर चिपकाई जाती हैं तथा दो फोटो संलग्न की जानी हैं।) संलग्न किया जाना अनिवार्य हैं। इसके अतिरिक्त निर्धारित पंजीयन शुल्क 25 रू तथा अंशदान राशि 5 रू मासिक/60रूपये वार्षिक भी जमा करानी होगी ।